	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 28, सोमवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 19, 2022 *Agrahayana 28 Monday , Saka 1944- December 19, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 15, 2022

संख्या प.5(138)खान/ग्रुप- 2/2009 :-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एम.एम.डी.आर.एक्ट 1957 की धारा 4(1) के द्वितीय परन्तुक तथा परमाणु खनिज रियायती नियम, 2016 के नियम 4(1) व 4(2) के अन्तर्गत परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (AMD) के पक्ष में क्षेत्र नि.ग्रा. गेरातियों की ढाणी, जिला सीकर में 3.36 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को परमाणु खनिज Rare Earth Elements (REE) एवं Other Associated Minerals, के विस्तृत विभागीय पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य हेतु (पूर्व में स्वीकृत/धारित खनन पट्टा, पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र एवं क्वारी लाइसेंस के क्षेत्रों को छोड़कर) 5 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित किया जाता है।

परमाणु खनिज रियायती नियम, 2016 के नियम 4(3) के अन्तर्गत उक्त वर्णित एवं अन्य खनिजों के लिए लंबित पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र, खनन पट्टा, क्वारी लाइसेंस के आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा एवं उन्हें निरस्त माना जायेगा।

आरक्षित किये जाने वाले उक्त क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्षैत्र नि.ग्रा. गेरातियों की ढाणी, जिला सीकर

टोपोशीट संख्या 45 M/14

पल्लर संख्या	लेटिट्यूड़	लोंगिटयूड़
A	$27^0$41'09.34N”	$75^0$55'44.93E”
B	$27^0$39'53.75N”	$75^0$56'41.81E”
C	$27^0$40'15.44N”	$75^0$57'18.21E”
D	$27^0$31'31.05N”	$75^0$56'21.33E”
कुल क्षेत्रफल - 3.36 वर्ग किमी		

उक्त क्षेत्र के मानचित्र व विवरण सूची कार्यालय परमाणु ऊर्जा विभाग, जयपुर एवं निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर में निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नीतू बारूपाल,

शासन उप सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।